प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 5 का उपखंड (ङ) आय-कर अधिनियम की धारा 10 में नया खंड (19) अंतःस्थापित करने के लिए है, जो उस आय से जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, संबंधित है । उक्त उपखंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को, उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा वे परिस्थितियां और ऐसी शर्तें जिनके अधीन संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य जिसके अंतर्गत अर्ध सैन्य बल भी हैं, यथास्थिति, विधवा या बालकों या नामनिर्दिष्ट वारिसों द्वारा प्राप्त कुटुम्ब पेंशन विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है जहां ऐसे सदस्य की मृत्यु संक्रियात्मक कर्तव्यों के दौरान होती है, उक्त धारा 10 के अधीन कुल आय से छूट प्राप्त होगी ।

विधेयक के खंड 5 का उपखंड (च) धारा 10 के खंड (23चख) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) में दी गई "जोखिम पूंजी उपक्रम" की परिभाषा प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 में निर्दिष्ट जोखिम पूंजी उपक्रम अभिप्रेत हों । यह उपबंध केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को उक्त खंड (23चख) के प्रयोजनों के लिए ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम को राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 10 आय-कर अधिनियम की धारा 35कग का संशोधन करने के लिए है जो पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय से संबंधित है । प्रस्तावित संशोधन विद्यमान उपधारा (4) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदन वापस लेने के लिए एक अतिरिक्त आधार का उपबंध किया जा सके । ऐसी दशा में, जहां ऐसा संगम या संस्था, जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए उस समिति को रिपोर्ट देने में असफल रहती है तो राष्ट्रीय समिति, किसी समय, संबंधित संगम या संस्था का अनुमोदन वापस लेने की प्रस्थापना के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् संबंधित संगम या संस्था का अनुमोदन वापस ले सकेगी । यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि अनुमोदन वापस लेने वाले आदेश की एक प्रति उस निर्धारण अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता संबंधित संगम या संस्था पर है, अग्रेषित की जाएगी ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को यह शक्ति प्रदत्त करने का प्रस्ताव है कि वह नियमों द्वारा, संगम या संस्था द्वारा राष्ट्रीय समिति को दी जाने वाली रिपोर्ट का प्ररूप और ऐसी विशिष्टियां अधिकथित करते हुए और ऐसा समय जिसके भीतर रिपोर्ट दी जानी है, जो विहित किया जाए, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करे ।

प्रस्तावित संशोधन विद्यमान उपधारा (5) को और प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदन वापस लेने के लिए एक अतिरिक्त आधार का उपबंध किया जा सके । यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि ऐसी पात्र परियोजना या स्कीम के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है तो ऐसी अधिसूचना उसी रीति से वापस ली जा सकेगी जिससे वह जारी की गई थी । यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि अनुमोदन वापस लेने की प्रस्थापना के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर, राष्ट्रीय समिति द्वारा, यथास्थिति, संबंधित संगम, संस्था, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी को दिया जाएगा । यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उस अधिसूचना की प्रति जिसके द्वारा पात्र परियोजना या स्कीम की अधिसूचना वापस ली जाती है, उस निर्धारण अधिकारी को जिसकी अधिकारिता, यथास्थिति, संबंधित संगम, संस्था, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी पर है, अग्रेषित की जाएगी ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को यह शक्ति प्रदत्त करने का प्रस्ताव है कि वह नियमों द्वारा, संगम या संस्था द्वारा राष्ट्रीय समिति को दी जाने वाली रिपोर्ट का प्ररूप और ऐसी विशिष्टियां अधिकथित करते हुए और ऐसा समय जिसके भीतर रिपोर्ट दी जानी है, जो विहित कि जाए, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करे ।

खंड 14 - विधेयक का खंड 14 आय-कर अधिनियम में नई धारा 80गगघ अंतःस्थापित करने के लिए है जो केन्द्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय के संबंध में कटौती से संबंधित है । प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कोई निर्धारिती, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियोजित कोई व्यष्टि है, जिसने किसी पेंशन स्कीम में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो या अधिसूचित की जाए, किसी रकम का संदाय किया है या उसे जमा किया है, वहां उसकी संपूर्ण आय की संगणना करने में उसके द्वारा संदत्त या जमा की गई ऐसी संपूर्ण रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी जो पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार को 80घघ के प्रयोजनों के लिए उक्त स्कीम अधिसूचित करने की शक्ति प्रदत्त की जाए ।

खंड 15 आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ का संशोधन करने के लिए है जो किसी आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन यथा परिभाषित "निःशक्त व्यक्ति" है; चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती से संबंधित है ।

इस धारा के अधीन कटौती का दावा करने वाले व्यक्ति से आय की विवरणी के साथ चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है ।

यह प्रस्ताव है कि निःशक्तता की परिभाषा में राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 में निर्दिष्ट "स्वपरायणता", "प्रमस्तिष्क घात" और "बहु-निःशक्तता" को सम्मिलित किया जाए ।

प्रस्तावित संशोधन "स्वपरायणता", "प्रमस्तिष्क घात" और "बहु-निःशक्तता" के रूप में निःशक्तता के प्रमाणन के लिए चिकित्सा प्राधिकारी अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को शक्ति भी प्रदान करता है।

खंड 17 आय-कर अधिनियम की धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है जो अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती से संबंधित है ।

उक्त खंड का उपखंड (घ) उपधारा (10) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध किया जा सके कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च, 2007 के पूर्व अनुमोदित आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न लाभ की सौ प्रतिशत कटौती इन शर्तों के अध्याधीन होगी कि (क) ऐसे उपक्रम ने आवास परियोजना का विकास और सन्निर्माण 1 अक्तूबर, 1998 से पूर्व या पश्चात् प्रारंभ किया है या करता है, (ख) परियोजना उस आकार के भू-भाग पर है जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ है, सिवाय ऐसी आवास परियोजना की दशा में जहां आवास परियोजना केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विद्यमान भवनों की पुनःसन्निर्माण या पुनः विकास के लिए बनाई गई और बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी स्कीम के अनुसार चलाई जा रही है ।

यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को धारा 80झख की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए ऐसी स्कीमें बनाने की शक्ति प्रदत्त की जाए।

खंड 17 आय-कर अधिनियम की धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है जो अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभों की बाबत कटौती से संबंधित है । प्रस्तावित संशोधन, अन्य बातों के साथ उक्त धारा में एक नई उपधारा (11ख) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में किसी अस्पताल के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के कारबार से व्युत्पन्न लाभ उस आरंभिक निर्धारण वर्ष से, जिसमें उपक्रम चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराना आरंभ करता है, प्रारंभ होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों के सौ प्रतिशत की कटौती के लिए पात्र होगा । कोई उपक्रम या उद्यम ऐसी कटौती के लिए पात्र होगा यदि ऐसा अस्पताल 1 अक्तूबर, 2004 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान सन्निर्मित किया गया है, जिसमें रोगियों के लिए कम से कम सौ बिस्तर हैं ; और सन्निर्माण स्थानीय प्राधिकारी के तत्समय प्रवृत्त स्थानीय विनियमों के अनुसार है ।

प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को यह शक्ति प्रदत्त करता है कि वह प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करे जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा करने के प्रयोजन के लिए निर्धारिती द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है ।

खंड 18 आय-कर अधिनियम की धारा 80प का संशोधन करने के लिए है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन "निःशक्त व्यक्ति" के रूप में परिभाषित किसी निःशक्त व्यक्ति की दशा में कटौती से संबंधित है ।

इस धारा के अधीन कटौती का दावा करने वाले व्यष्टि से आय की विवरणी के साथ चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है ।

यह प्रस्ताव है कि "निःशक्तता" की परिभाषा में राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम,

1999 की धारा 2 में निर्दिष्ट "स्वपरायणता", "प्रमस्तिष्क घात" और "बहु-निःशक्तता" भी सम्मिलित की जाए ।

प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को "स्वपरायणता", "प्रमस्तिष्क घात" और "बहु-निःशक्तता", आदि के रूप में निःशक्तता के प्रमाणन के लिए चिकित्सा प्राधिकारी अधिसूचित करने की शक्ति भी प्रदान करता है।

विधेयक का खंड 28 आय-कर अधिनियम में एक नया अध्याय 12छ अंतःस्थापित करने के लिए है जो पोत परिवहन कंपनियों की आय पर कर के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

प्रस्तावित अध्याय की धारा 115फछ टनभार आय की संगणना करने के लिए उपबंध करती है । उक्त धारा की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार टनभार से धारा 115फभ में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में उपदर्शित किसी पोत का टनभार अभिप्रेत है जिसमें विहित रीति में संगणित समझा गया टनभार भी है ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है कि नियमों द्वारा, ऐसे समझे गए शुद्ध टनभार की संगणना की रीति विनिर्दिष्ट करे ।

प्रस्तावित अध्याय की धारा 115फझ सुसंगत पोत आय से संबंधित है । उक्त धारा की उपधारा (3) केन्द्रीय सरकार को, उपधारा (2) के खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी मुख्य क्रियाकलाप को अपवर्जित करने के लिए या वह समय-सीमा विहित करने के लिए जिस तक ऐसे क्रियाकलाप, इस धारा के प्रयोजन के लिए मुख्य क्रियाकलापों में सम्मिलित किए जाएंगे, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, सशक्त करती है । उक्त धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि टनभार कर कंपनी के आनुषंगिक क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप होंगे जो मुख्य क्रियाकलापों के आनुषंगिक हैं और उस प्रयोजन के लिए विहीत किए जाएं ।

यह प्रस्ताव है कि सुसंगत पोत आय के प्रयोजनों के लिए आनुषंगिक क्रियाकलाप, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को सशक्त किया जाए ।

प्रस्तावित अध्याय का खंड 115फत, टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प देने की पद्धति और समय से संबंधित है । उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि कोई अर्हक कंपनी उस संयुक्त आयुक्त को, जिसकी उस कंपनी पर अधिकारिता है, ऐसी स्कीम के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, आवेदन करके टनभार स्कीम के लिए विकल्प कर सकेगी ।

प्रस्तावित अध्याय की धारा 115फब लेखाओं के रखे जाने और उनकी लेखापरीक्षा से संबंधित है । उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ यह उपबंध है कि किसी टनभार कर कंपनी द्वारा टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का किसी पूर्ववर्ष के संबंध में प्रभाव नहीं होगा जब तक कि लेखापाल की रिपोर्ट, ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित करके नहीं दे दी जाती है ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को यह शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है कि वह लेखापाल द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के प्रयोजन के लिए प्ररूप नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

विधेयक का खंड 39 आय-कर अधिनियम की धारा 200 का संशोधन करने के लिए है जो कर की कटौती करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य से संबंधित है, प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा में एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, यथास्थिति, कोई व्यक्ति, जो 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करता है या कोई व्यक्ति, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई नियोजक है, केंद्रीय सरकार के खाते में कटौती किए गए कर का संदाय करने के पश्चात्, विहित समय के भीतर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरण तैयार करेगा और ऐसा विवरण, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसी विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या कराएगा ।

प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा - (क) वह आय-कर प्राधिकारी जिसे ऐसे तिमाही विवरण भेजे जाने हैं, (ख) तिमाही विवरण प्ररूप, और (ग) वह रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर ऐसा तिमाही विवरण भेजा जाना है, विनिर्दिष्ट करे ।

विधेयक का खंड 42 आय-कर अधिनियम की धारा 203क को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो कर कटौती लेखा संख्यांक से संबंधित है । प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कर कटौती लेखा संख्यांक या कर संग्रहण लेखा संख्यांक आबंटित नहीं किया गया है, विहित समय के भीतर "कर कटौती और कर संग्रहण लेखा संख्यांक" के आबंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेगा ।

यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को नियमों द्वारा वह समय विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त की जाए, जिसके भीतर किसी व्यक्ति से ऐसे संख्यांक के आबंटन के लिए आवेदन करने को अपेक्षा की जाएगी ।

विधेयक का खंड 43, आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 203कक अंतःस्थापित करने के लिए है जो कटौती किए गए कर आदि का विवरण दिए जाने की अपेक्षा से संबंधित है । नई धारा 203कक में प्रस्तावित उपबंध यह उपबंध करते हैं कि विहित आय-कर प्राधिकारी या धारा 200 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, विहित समय के भीतर विहित प्ररूप में कटौती की गई रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करते हुए एक विवरण तैयार करेगा और निर्धारिती को परिदत्त करेगा ।

यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को यह शक्ति प्रदान की जाए कि वह, उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा – (क) समय जिसके भीतर निर्धारिती ऐसा विवरण फाइल करेगा, (ख) प्ररूप जिसमें ऐसा विवरण फाइल किया जाएगा, और (ग) अन्य विशिष्टियां जो ऐसे विवरण के साथ फाइल की जाएंगी, विनिर्दिष्ट करे ।

विधेयक का खंड 46 आय-कर अधिनियम की धारा 206 का संशोधन करने के लिए है जो कर की कटौती करने वाले व्यक्तियों द्वारा विहित विवरणी दिए जाने से संबंधित है । उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, सरकार के हर कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति, हर कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम की दशा में विहित व्यक्ति, हर प्राइवेट नियोजक और हर ऐसा अन्य व्यक्ति, जो कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी है, हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से सत्यापित करा कर और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी विवरणियां तैयार करेगा और उन्हें विहित आय-कर प्राधिकारी को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

उपखंड (क) द्वारा प्रस्तावित संशोधन किसी प्राधिकारी या अधिकरण के पास विवरणियां फाइल किया जाना अनुज्ञात करता है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को यह शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है कि उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा ऐसे प्राधिकारी या अधिकरण विनिर्दिष्ट करे जिनको ऐसी विवरणी परिदत्त की जाएगी या कराई जाएगी ।

यह और प्रस्ताव है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को, शक्ति प्रदान की जाए कि यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारी या अधिकरण के पास विवरणियां फाइल करने के लिए एक स्कीम बनाए ।

विधेयक के खंड 46 का उपखंड (ख), आय-कर अधिनियम की धारा 206 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है । उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, आय-कर अधिनियम के अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी, प्रत्येक कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति, अपने विकल्प पर, ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय पर या उसके पूर्व किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, आदि जैसे कंप्यूटर माध्यम पर और ऐसी रीति में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी विवरणी परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा । उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंध है कि कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय के भीतर उक्त स्कीम के अधीन कंप्यूटर माध्यम पर ऐसी विवरणियां परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

प्रस्तावित संशोधन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति से, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सरकार के प्रत्येक कार्यालय की दशा में ऐसी विवरणियां केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उक्त स्कीम के अधीन कम्प्यूटर मीडिया पर परिदत्त करने या कराने की अपेक्षा करता है ।

खंड 47 आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है, जो एल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रैप आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित है ।

विधेयक के खंड 47 के उपखंड (ख) की मद (ii) उक्त धारा की उपधारा (3) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है । जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् कर का संग्रहण करने

वाला व्यक्ति, कटौती किए गए कर का केन्द्रीय सरकार को संदाय करने के पश्चात् विहित समय के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरण तैयार करेगा और ऐसा विवरण, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित रूप में तथा ऐसी विशिष्टियों को उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी या उस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या कराएगा ।

बोर्ड को यह शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है कि वह उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा – (क) वह आय-कर प्राधिकारी जिसको ऐसे तिमाही विवरण भेजे जाएंगे, (ख) वह प्ररूप जिसमें ऐसा विवरण फाइल किया जाएगा, और (ग) वह रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर ऐसे विवरण फाइल किए जाएंगे, विनिर्दिष्ट करे ।

प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (ग) की मद (ii) उक्त धारा की उपधारा (5) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे मामले में, जहां कर 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार संगृहीत किया गया है, वहां कोई प्रमाणपत्र दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा । प्रस्तावित संशोधन यह और उपबंध करने के लिए है कि विहित आय-कर प्राधिकारी या उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय के भीतर, ऐसा विवरण तैयार कराए और उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्रेताओं को या उपधारा (1ग) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारी को परिदत्त कराए ।

यह प्रस्ताव है कि बोर्ड को यह शक्ति प्रदान की जाए कि वह, उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा – (क) वह समय जिसके भीतर निर्धारिती ऐसा विवरण फाइल करेगा, (ख) प्ररूप जिसमें ऐसा विवरण फाइल किया जाएगा, और (ग) अन्य विशिष्टियां जो ऐसे विवरण के साथ दी जाएंगी, विनिर्दिष्ट करे ।

विधेयक के खंड 47 का उपखंड (च) आय-कर अधिनियम की उक्त धारा 206ग की उपधारा (5क) का संशोधन करने के लिए है । प्रस्तावित संशोधन में यह उपबंध है कि स्रोत पर कर का संग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संगृहीत आय-कर की विवरणियां आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को या अभिकरण को प्रस्तुत करें ।

यह प्रस्ताव है कि बोर्ड को यह शक्ति प्रदान की जाए कि वह, उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा – (क) वह आय-कर प्राधिकारी जिसको ऐसी विवरणी भेजी जाएगी; (ख) विवरणी का प्ररूप; और (ग) वह रीति जिससे और वह समय भी जिसके भीतर ऐसी विवरणी भेजी जाएगी विनिर्दिष्ट करें ।

विधेयक के खंड 47 का उपखंड (छ) उक्त धारा 206ग की उपधारा (5ख) और (5ग) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे मामले से भिन्न किसी मामले में, जहां विक्रेता कोई कंपनी, केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार है, वहां कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अपने विकल्प पर ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा इस निमित्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय पर या उसके पूर्व किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंप्यूटर माध्यम कहा गया है) और ऐसी रीति में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी विवरणी परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा । उक्त उपधारा के प्रस्तावित परंतुक में यह उपबंध है कि जहां विक्रेता कोई कंपनी या केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर संग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय के भीतर उक्त स्कीम के अधीन कंप्यूटर माध्यम पर ऐसी विवरणियां परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा । यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को उक्त उपधारा (5ख) के अधीन विवरणी परिदत्त करने के प्रयोजन के लिए स्कीम बनाने की शक्ति प्रदान की जाए ।

विधेयक का खंड 58 आय-कर अधिनियम की धारा 285खक का संशोधन करने के लिए है, जो वार्षिक सूचना विवरणी के दिए जाने से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि ऐसा कोई निर्धारिती, जो 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् कोई विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार करता है या सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, विहित व्यक्ति या कतिपय अन्य प्राधिकारी, जो किसी ऐसे संव्यवहार को रजिस्टर करने या उसका अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी हैं, आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को जो विहित किया जाए ऐसे संव्यवहारों के संबंध में वार्षिक सूचना विवरणी देंगे ।

यह प्रस्ताव है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा, (क) सरकारी कार्यालय की दशा में वह व्यक्ति जिससे वार्षिक सूचना विवरणी देनी अपेक्षित होगी, और (ख) वह आय-कर प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या अभिकरण जिसको ऐसी वार्षिक सूचना विवरणी दी जाएगी, विनिर्दिष्ट कराने की शक्ति प्रदान की जाए।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि वार्षिक सूचना विवरणी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जिसके अंतर्गत फ्लापी, डिस्केट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, सीडी रोम या कोई कम्प्यूटर पठनीय माध्यम भी है जो विहित किया जाए, दी जाएगी ।

यह भी प्रस्ताव है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को वह समय विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त की जाए, जिसके भीतर वार्षिक सूचना विवरणी दी जाएगी । यह भी प्रस्ताव है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को वह प्ररूप और रीति जिसमें ऐसी वार्षिक सूचना विवरणी दी जाएगी, विनिर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ।

प्रस्तावित उपधारा (3) "विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार" पद को परिभाषित करती है, जिससे कि माल या संपत्ति में के अधिकार या हित के क्रय, विक्रय या विनिमय के किसी संव्यवहार या ऐसी कोई सेवा देने के लिए, जो विहित की जाए, किसी संव्यवहार या किसी संकर्म संविदा के अधीन किसी संव्यवहार या किए गए किसी विनिधान या उपगत किसी व्यय के रूप में किसी संव्यहार या कोई ऋण या निक्षेप लेने या प्राप्त करने के किसी संव्यवहार को, जहां ऐसे संव्यवहार या कोई ऋण या निक्षेप लेने या प्राप्त करने के किसी संव्यवहार को, जहां ऐसे संव्यवहार का मूल्य या कुल मूल्य किसी पूर्ववर्ष में पचास हजार रुपए से अधिक या ऐसा अन्य उच्चतर मूल्य हो जाता है, जो विहित किया जाए, सम्मिलित किया जा सके ।

केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को यह भी शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है कि वह उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा (क) प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई सेवा देने के लिए संव्यवहार, उपधारा (1) के खण्ड (क) से खण्ड (झ) तक में निर्दिष्ट विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में वित्तीय संव्यवहार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) के खण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित विभिन्न संव्यवहारों के लिए भिन्न-भिन्न मूल्य विनिर्दिष्ट करें ।

विधेयक का खंड 64 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 का संशोधन करने के लिए है जो केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करती है, जिससे कि धारा 137 की उपधारा (3) के अधीन प्रशमन के लिए संदत्त की जाने वाली रकम विनिर्दिष्ट कर सके ।

विधेयक का खंड 75, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 का संशोधन करने के लिए है जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) के अधीन प्रशमन के लिए संदत्त की जाने वाली रकम विहित करने और उत्पाद शुल्क्य माल के निर्माण में प्रयुक्त या उसके संबंध में कराधेय सेवाओं पर संदत्त या संदेय वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन उद्ग्रहणीय सेवा-शुल्क के प्रत्यय के लिए उपबंध करने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 80, वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का संशोधन करने के लिए है । उक्त खंड का उपखंड (थ), धारा 94 का संशोधन करने के लिए है, जो केन्द्रीय सरकार को,–

(i) कराधेय सेवाओं का निर्यात अवधारित करने के लिए उपबंधों ;

(ii) ऐसी कराधेय सेवाओं को, जो भारत से बाहर निर्यात की जाती हैं, छूट देने या उन पर संदत्त कर की रिबेट प्रदान करने ;

(iii) भारत के बाहर निर्यात की गई कराधेय सेवाएं प्रदान करने के लिए, उपभोग की सेवाओं पर या माल पर संदत्त या संदत्त समझे गए शुल्क पर सेवा-कर से रिबेट,

के प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त बनाता है ।

उक्त खंड का उपखंड (द), वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 95 का, उसमें एक नई उपधारा (1ख) को अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है, जिससे कि किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो प्रस्तावित विधान द्वारा समाविष्ट किसी कराधेय सेवा के मूल्य का कार्यान्वयन या निर्धारण करने के संबंध में उत्पन्न होती हो, केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाया जा सके । उक्त उपधारा का परन्तुक, यह उपबंध करने के लिए है कि उस उपधारा के अधीन कोई आदेश उस तारीख से जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

विधेयक के खंड 86 का उपखण्ड (2) केंद्रीय सरकार को वह तारीख नियत करने के लिए सशक्त बनाता है जिसको विधेयक की प्रतिभूति संव्यवहार से संबंधित अध्याय 7, जब अधिनियमित हो प्रदत्त होगा।

विधेयक का अध्याय 7 किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किए गए प्रतिभूतियों के क्रय के सभी संव्यवहारों के मूल्य पर कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करने के लिए है ऐसा कर मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा प्रतिभूतियों के क्रेता से संगृहीत किया जाएगा और केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त किया जाएगा।

विधेयक के खण्ड 91 प्रतिभूति संव्यवहार करके संग्रहण के लिए उत्तरदायी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा, ऐसे स्टाक एक्सचेंज वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों के संबंध में विहित समय के भीतर, विहित प्ररूप में, विहित रीति से और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं, विवरणी फाइल करने की लिए उपबंध करता है ।

यह प्रस्ताव है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा (क) वह समय जिसके भीतर विवरणी प्रस्तुत की जाएगी; (ख) वह प्ररूप जिसमें विवरणी प्रस्तुत की जाएगी; (ग) वह रीति जिसमें उसे सत्यापित किया जाएगा; और (घ) विवरणी में दी जाने वाली विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त की जाए ।

विधेयक के खंड 92 में यह उपबंध है कि जहां कोई रकम किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज को प्रतिदत्त की जाती है, वहां उसे उस संबंधित व्यक्ति को विहित समय के भीतर प्रतिदत्त की जाएगी जिससे ऐसी रकम संगृहीत की गई थी ।

यह भी प्रस्ताव है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा वह समय विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त की जाए जिसके भीतर ऐसी रकम संबंधित व्यक्ति को प्रतिदत्त की जाएगी ।

विधेयक के खण्ड 100 में यह उपबंध है कि कोई निर्धारिती, यदि वह निर्धारण अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है तो विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित रूप में आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा ।

यह प्रस्ताव है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा वह प्ररूप जिसमें ऐसी अपील की जा सकेगी और वह रीति जिसमें उसे सत्यापित किया जा सकेगा विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त की जाएगी ।

विधेयक का खण्ड 101, यथास्थिति, निर्धारिती या निर्धारण अधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित रूप में अपील अधिकरण में अपील फाइल करने का उपबंध है ।

यह प्रस्ताव है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को, उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा वह प्ररूप जिसमें ऐसी अपील की जा सकेगी और वह रीति जिसमें उसे सत्यापित किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त की जाएगी ।

वे विषय, जिनकी बाबत विधेयक के पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसार अधिसूचना जारी की जा सकेगी या नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध किया जाना व्यवहार्य नहीं है।

अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।